न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 208/2020 **दायर दिनांकः 17/12/2020**

उनवान

1. केसरीलाल आयु 77 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति गाडरी गूजर।
2. मांगीलाल आयु 55 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति गाडरी गूजर निवासीगण खरखडा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. गजानन्द पुत्र प्रभूलाल जाति गुर्जर निवासी खरखडा रामलोथान हाल बिछालस
2. भंवरलाल पुत्र प्रभूलाल जाति गुर्जर निवासी खरखडा रामलोथान हाल बिछालस तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाडा।
प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर नागर।

आदेश दिनाकः 13/09/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल खरखडा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां राज0 के खाता संख्या 43 के ख० न० 1126 का रकबा 0.10 है०, ख०न० 311 का रकबा 1.30 है०, ख०न० 314/1396 का रकबा 0.86 है०, ख[illegible]5 का रकबा 1.29 है०, ख०न० 321 का रकबा 1.00 है०, ख०न० 801/1359 का रकबा 0.40 [illegible], ख० न० 801/1360 का रकबा 0.16 है०, ख०न० 801/1361 का रकबा 0.17 है०, ख०न० 801/1362 का रकबा [illegible]0 है०, ख०न० 801/1363 का रकबा 0.01 है०, ख०न० 801/1364 का रकबा 0.12 है०, ख०न० 801/1365 रकबा 0.14 है०, ख०न० 801/1366 का रकबा 0.30 है० कुल किता 13 कुल रकबा 5.95 है० आराजी प्रार्थीगण व सहखातेदार जगदीश पुत्र, धन्नी, शान्ती पुत्रीया, जमनाबाई पत्नि स्व0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:02 IST
Reason: SelfAttested

हीरालाल के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस संवत 2073 से 2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। ग्राम एवं माल खरखडा रामलोथान तहसील अटरू की खाता संख्या 152 की ख0नं0 312/1428 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 931 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 933 रकबा 0.16 है0 कुल किता 3 रकबा 0.50 है0 आराजी अप्रार्थी क्रम 1 व 2 व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की माता कस्तूरीबाई के खाते दर्ज है नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस संवत 2073 से 2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी की सहखातेदार कस्तूरीबाई का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके वारिसान अप्रार्थी क्रम 1 व 2 है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी के ख0नं0 311 रकबा 1.30 है0 आराजी पर आने जाने हल कुली ट्रेक्टर ट्रोली आदि कृषि यन्त्र लाने ले जाने के लिए प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के खाते की आराजी के ख0 नं0 312/1428 रकबा 0.20 है0 के पूरब दिशा की मेढ़ पर होकर रास्ते के लिए उपयोग करते चले आ रहे है। लेकिन इस वर्ष अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा प्रार्थीगण के उपयोग के रास्ते को अवरूद्ध कर प्रार्थीगण का रास्ता का उपयोग करने से मना कर दिया। प्रार्थना पत्र के साथ रास्ते का नजरी नक्शा पेश किया जा रहा है। जिसमें रास्ते को ए.बी.सी.डी. मार्क से प्रदर्शित किया गया है जो प्रार्थना पत्र का एक भाग है। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने यदि प्रार्थीगण को ख0नं0 312/1428 के पूरब दिशा की मेड पर होकर ट्रेक्टर ट्रोली व अन्य कृषि यन्त्र लेकर नही निकलने दिया तो प्रार्थीगण के खाते की आराजी पडत रह जावेगी। जिससे अपूरणिय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नही होगी। अस्तु प्रार्थीगण अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वे प्रार्थीगण को ख0नं0 312/1428 के पूरब दिशा की मेड पर होकर ट्रेक्टर ट्रोली व अन्य कृषि यन्त्र लाने ले जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। तथा ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावे। प्रार्थीगण को रास्ते का उपयोग उपभोग शान्ती पूर्वक करने देवे। रास्ते को खुलासा रखे। जिसमें बिना न्यायालय की सहायता के नही करवाया जा सकता है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवा कर नक्शा ट्रेस में तरमीन करवाना चाहता है इस हेतु प्रार्थीगण अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के खाते की आराजी ख0नं0 312/1428 में से 15 फुट चौडा ख0नं0 311 तक आने जाने ट्रेक्टर ट्रोली व अन्य कृषि यन्त्र लाने ले जाने के लिए उपयोग मे ली जाने वाली भूमि की राशि का भुगतान डी.एल.सी. रेट के मुताबिक अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को करने के लिए तैयार है। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने से श्रीमान तहसीलदार साहब

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:02 IST
Reason: Self Attested

अटरू को आवश्यक पक्षकार अप्रार्थी क्रम 3 बनाया गया है। विवादित रास्ता की आराजी वाके ग्राम एवं माल खरखडा रामलोथान तहसील क्षैत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ख0नं0 312/1428 में पूरब दिशा की मेड के पास होकर ख0नं0 311 तक 15 फुट चौडा रास्ता अप्रार्थी क्रम 1 व 2 से प्रार्थीगण को दिलाया जावे तथा रास्ते के लिए उपयोग में आने वाली भूमि का डी.एल.सी. रेट के मुताबिक राशि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को अदा करने पर नक्शा ट्रेस में तरमीन कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी रास्ता दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी क्रम 3 को प्रदान किया जावे। तथा अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को पाबन्द किया जावे की रास्ते के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, प्रतिवादी द्वारा इकबाले जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र मी मद नं. 1 ता 6 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 7 अस्वीकार है अपितु कथन है कि अप्रार्थीगण 10 फुट चौडा रास्ता देने के लिए तैयार है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 8 ता 10 कानूनी है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 11 का जवाब वक्त बहस मौखिक निवेदन किया जायेगा। प्रार्थना प्रार्थीगण स्वीकार नही है।

विशेष विवरण

प्रार्थना पत्र की मद नं. 7 में वर्णित अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के खाते की आराजी ख0नं0 312/1428 में से 10 फुट चौडा रास्ता पूरब दिशा की आराजी ख0नं0 311 तक आने जाने ट्रेक्टर ट्रोली व अन्य कृषि यन्त्र लाने ले जाने के लिए 50000/– रूपये की राशि प्राप्त करली है। उक्त रास्ते को अप्रार्थीक्रम 3 को नक्शा ट्रेस में तरमीन कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने में अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 को कोई आपत्ति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:02 IST
Reason: Self Attested

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर 10 फुट चौडा रास्ता नक्शा ट्रेस में तरमीन कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण निम्न राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उक्त उनवान का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में जैरकार है। जिसमें आज तारीख पेशी नियत है। प्राथीगण के ग्राम माल

खरखडा रामलोथान तहसील अटरू के खाता संख्या 43 के ख0नं0 311 तक अप्रार्थीगण के खाता संख्या 152 के ख0नं0 312/1428 मे से 10 फुट चौडा रास्ता पूरब दिशा की मेड के पास होकर अप्रार्थीगण को 50,000/–रूपये देकर प्रार्थीगण के व अप्रार्थीगण उक्त 10 फीट चौडा व 60 फीट लम्बा रास्ता पूरब दिशा की मेड के पास होकर को नक्शा ट्रेस में तरमीन कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करावे जिसमें अप्रार्थीगण कम 1 व 2 को कोई आपत्ति नही है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्तांकित 10 फुट चौडा रास्ता राजीनामा अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीन कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया, वादीगण की पहचान श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा एड0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 की पहचान श्री महावीर नागर एड0 द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0 फा0 किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम एवं माल खरखडा रामलोथान के खाता संख्या 43 के कुल किता 13 कुल रकबा 5.95 है० आराजी प्रार्थीगण व सहखातेदार जगदीश पुत्र, धन्नी, शान्ती पुत्रीया, जमनाबाई पत्नि स्व0 हीरालाल के शामलाती खाते दर्ज है। ग्राम एवं माल खरखडा रामलोथान तहसील अटरू की खाता संख्या 152 कुल किता 3 रकबा 0.50 है0 आराजी अप्रार्थी कम 1 व 2 व अप्रार्थी कम 1 व 2 की माता कस्तूरीबाई के खाते दर्ज है। इस संबंध में प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 1 व 2 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर प्राथीगण के ग्राम माल खरखडा रामलोथान तहसील अटरू के खाता संख्या 43 के ख0नं0 311 तक अप्रार्थीगण के खाता संख्या 152 के ख0नं0 312/1428 मे से 10 फुट चौडा रास्ता पूरब दिशा की मेड के पास होकर अप्रार्थीगण को 50,000/–रूपये देकर प्रार्थीगण के व अप्रार्थीगण उक्त 10 फुट चौडा रास्ता पूरब दिशा की मेड के पास होकर को नक्शा ट्रेस में तरमीन कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का अनुतोष चाहा गया है। अतः प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर आपसी सहमति से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:02 IST
Reason: SelfAttested

–::क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजी ग्राम माल खरखडा रामलोथान तहसील अटरू के खाता संख्या 43 के ख0नं0 311 तक आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण के खाता संख्या 152 के ख0नं0 312/1428 मे से 10 फुट चौडा 60

फुट लम्बा रास्ता पूरब दिशा की मेड के पास होकर अर्थात 600 वर्ग फुट भूमि नियमानुसार DLC की दुगनी राशि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को दिये जाने पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश किये जाते है, तहसीलदार अटरू उक्तानुसार गै0मु0 रास्ता (600 वर्ग फुट) राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 13/09/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:02 IST
Reason: SelfAttested